



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2011/फाल्गुन 20, 1932

No. 438]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2011/PHALGUNA 20, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2011

**का.आ. 509(अ).**—केंद्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 795 (अ) तारीख 1 अप्रैल 2008 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के 84.700 कि.मी. से 167.500 कि.मी. (कालघाट - मध्यप्रदेश / महाराष्ट्र सीमा सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 84.700 कि.मी. से 167.500 कि.मी. (कालघाट - मध्यप्रदेश / महाराष्ट्र सीमा सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विद्यमान दो लेन वाली सड़क को चौड़ा करके चार लेन, दोहरे वाहन मार्ग को बनाने, के लिए उन्नयन प्रचालन और अनुसूचना जिसके अंतर्गत सुदृढीकरण करना और चौड़ा करना भी है, के लिए और निर्माण, प्रचालन और स्थानान्तरण (बी.ओ.टी) आधार पर मैसर्स एस ई डब्लू नवयुग बारवानी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड ; जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 6-3-871 स्नेहलता, पहला तल, ग्रीनलैंड्स रोड, बेगमपेट, हैदराबाद - 500016, भारत (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन में अन्तर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर

ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए उक्त सारणी के अनुसूची स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रवर्ग पर फीस उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर उदगृहीत और संगृहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक उक्त फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है; अर्थात्

### सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	आधार फीस प्रति कि.मी. प्रति यान प्रति फेरा की दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, यात्री वैन या जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	0.70
3.	ट्रक या बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय), अर्थ मूविंग उपस्कर या भारी निर्माण मशीनरी	2.25

### टिप्पण:-

1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, -

(i) "वास्तविक फीस" से फीस प्लाजा पर उक्त सेक्शन के उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है -

(क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई, और

(ख) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचीबद्ध और जो एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन, स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा, उक्त सेक्शन के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार (जिसे इसमें इसके पश्चात् करार कहा गया है) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन को पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है।

(iii) "स्थानीय यातायात" से निम्नलिखित प्रकार के यातायात अभिप्रेत है :-

(अ) कार/जीप/वैन - इस यातायात के दो प्रवर्ग हैं, अर्थात् :-

(I) प्रवर्ग I से निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले उपयोक्ता अभिप्रेत और सम्मिलित हैं --

(क) ग्रामों/कस्बों/शहरों के निवासी जिसकी सीमा संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से दस किलोमीटर के घेरे के भीतर आती है।

(ख) संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापनों/ औद्योगिक इकाई।

- (ग) ऐसे स्थापनों / औद्योगिक ईकाइयों के कर्मचारी, जो संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या उनका कार्यालय स्थित है; और
- (घ) स्वनियोजित व्यक्ति / कारोबारी जिनका काम करने का स्थान संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर के घेरे के भीतर अवस्थित है।

(II) प्रवर्ग II से निम्नलिखित प्रवर्ग में से किसी के अंतर्गत आने वाले स्थानीय उपयोक्ता अभिप्रेत और सम्मिलित हैं --

- (क) ग्रामों/कस्बों/शहर के निवासी जिसकी सीमा संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर से अधिक किन्तु बीस किलोमीटर तक के घेरे के भीतर आती है।
- (ख) संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर से अधिक किन्तु बीस किलोमीटर तक के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक ईकाइया है।
- (ग) ऐसे स्थापना / औद्योगिक ईकाइयों के कर्मचारी जो संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर से अधिक किन्तु से बीस किलोमीटर तक के घेरे के भीतर अवस्थित है या जिनका कार्यालय स्थित है।
- (घ) स्वनियोजित व्यक्ति / कारोबारी जिनका काम करने का स्थान संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के दस किलोमीटर से अधिक किन्तु बीस किलोमीटर तक के घेरे के भीतर अवस्थित है।

उपरोक्त दो श्रेणियों प्रवर्गों के लिए रियायत शुल्क निम्न प्रकार होगा :

प्रवर्ग I : 150.00 रुपये का मासिक पास

प्रवर्ग II : 300.00 रुपये का मासिक पास

#### (आ) बसें

राज्य परिवहन बसों के लिए मासिक पास ऐसे सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणन पर ( जो महाप्रबंधक, राज्य सरकार सडक परिवहन की पंक्ति से कम का न हो ) द्वारा उस मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली बसों की संख्या प्रमाणित किए जाने पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर राज्य सरकार परिवहन के पक्ष में मासिक पास जारी किये जा सकेंगे और निजी स्थानीय प्रचालकों के मामले में मासिक पास जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मार्ग प्रचालन के लिए अपने परमिट और मार्ग प्रचालन की समय सारणी प्रस्तुत किए जाने पर जारी किए जाएंगे।

#### (इ) स्कूल बसें

स्कूली छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए फीस प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के पश्चात् स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर एक हजार रुपये की दर से मासिक पास जारी किये जाएंगे।

## (ई) हल्के वाणिज्यिक यान या ट्रक (स्थानीय परिवहन प्रचालक):

ऐसे परिवहन प्रचालकों का 20 कि.मी. के भीतर उन्हें चलाने का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्योरे विनिर्दिष्ट करते हुये प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर रियायती फीस ली जाएगी और ऐसे परिवहन के लिये, प्रत्येक प्रवेश पर ट्रकों के लिये 25 रू० (पच्चीस रुपये) और हल्के वाणिज्यिक यानों के लिये प्रत्येक प्रवेश पर 15 रू० (पन्द्रह रुपये) की फीस होगी :

(iv) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब किया गया करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।

(v) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त करार में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार, में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं।

2. फीस का वास्तविक रकम और प्रत्येक वर्ष के 1 सितम्बर से प्रभावी उसके पुनरीक्षण निम्नलिखित रूप से संगणित की जाएगी :-

आधार फीस X  $\frac{\text{डब्ल्यू पी आई-बी}}{\text{डब्ल्यू पी आई-ए}}$  X उक्त खंड की लम्बाई

जहां

- \* डब्ल्यू पी आई-ए = जून 1997 (131.4) को विद्यमान थोक कीमत सूचकांक है।
- \* डब्ल्यू पी आई-बी = पुनरीक्षित फीस की तारीख से पूर्वगामी 31 मार्च को औसत

3. वास्तविक फीस जो प्रभारित की जाएगी एक रुपये निकटतम पूर्णांक में होगी।

4. फीस 141.850 कि.मी. पर अवस्थित फीस प्लाजा पर संग्रहीत की जाएगी।

5. जब एक ही यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपरोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में, पथकर प्लाजा को पार करते समय उपरोक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे और जहां किसी यांत्रिक यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास या उसके पश्चात् में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट एक फेरे के लिए उसको लागू दर का तीस गुना के समतुल्य प्रभारों को संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "दिन" से चौबीस घंटे की निरन्तर अवधि समझा जाएगा।

6. परंतु निम्नलिखित प्रकार के यानों की बाबत कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात:-

(i) ऐसे यान --

(अ) जो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से संबंधित हैं :-

- (क) भारत के राष्ट्रपति;
- (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
- (ग) राज्य के राज्यपाल या संघराज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
- (घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
- (ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
- (च) राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों;
- (छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान ।

7. रियायतग्राही इस अधिसूचना में दी गई रियायती दरों से अधिक राशि स्थानीय यातायात से, संग्रहीत नहीं करेगा ।

8. जब कभी कोई सर्विस लेन बनाई जाती है तो रियायतग्राही ऐसी लेन के उपयोगकर्ताओं से शुल्क संग्रहण नहीं करेगा।

9. रियायतग्राही, इस अधिसूचना का सार, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख सहित कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से

कम से कम दस दिन पहले और पुनरीक्षित फीस को भी प्रभावी बनाने के दस दिन पहले इस अधिसूचना के अनुसार प्रकाशित करेगा ।

10. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी है, पथकर प्लाजा से 500 मी. आगे, पथकर प्लाजा से 100 मी. आगे और पथकर प्लाजा पर सहज रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सके ।
11. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, प्राधिकरण को यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए भेजी जाएगी ताकि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई समझी जाएगी ।

[फाइल सं. एन एच ए आई/13013/583/सी.ओ/10-11/जीसी इंदौर (84.7-167.5) बी.ओ.टी]

बी. बी. महापात्रा, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2011

**S.O. 509(E).**—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 795 (E), dated the 1<sup>st</sup> April 2008, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government has entrusted the stretch from Km 84.700 to Km 167.500 (Khalghat - Madhya Pradesh /Maharashtra Border section) of National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s SEW Navayuga Barwani Tollways Pvt. Ltd., having its registered office at 6-3-871, Snehalata, 1<sup>st</sup> Floor, Greenlands Road, Begumpet, Hyderabad - 500016, India (hereinafter referred to as the Concessionaire) for improvement, operation and maintenance including strengthening and widening of existing 2 lane road to 4 lane dual carriageway from Km 84.700 - Km 167.500 (Khalghat - Madhya Pradesh /Maharashtra Border section) of the National Highways No. 3 in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said section) on Build Operate and Transfer (BOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rates specified in column (3) of the following Table hereinafter referred to as the said Table on the categories of vehicles specified in column (2) of the said Table for the use of the said section, and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the date of commercial operation of the said section or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:--

Table

S. No.	Categories of vehicles.	Base rate of fees per vehicle per one way trip per Km (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1.	Car, passenger van or jeep.	0.40
2.	Light Commercial Vehicle (LCV).	0.70
3.	Truck or bus.	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axle), earth moving equipment or heavy construction machinery.	2.25

## Notes:-

1. For the purposes of this notification,-
  - (i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said section at the fee plaza on the basis of -
    - (i) length of the project highway, and
    - (ii) base fee given in the said Table duly indexed, and rounded off to the nearest one rupee;
  - (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section, begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification, as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section (hereinafter referred to as the said agreement);
  - (iii) "local traffic" means the following type of traffic:-
    - (A) Car/jeep/van- It has two categories of traffic, viz., -

- (I) Category I means and includes local users falling into any of the following categories:-
- (a) Residents of villages/towns/cities whose boundry falls within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).
  - (b) Establishments/industrial units located within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).
  - (c) Employees of establishments/industrial units locaterd or which have their office, within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
  - (d) Self employed persons/businessmen having place of work within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).
- (II) Category II means and includes local users falling into any of the following categories:-
- a. Residents of villages/towns/cities whose boundry falls within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booths (toll plaza).
  - b. Establishments/industrial units located within a radius more than ten kilometers but upto twenty kilometer of the fee collection booth (toll plaza).
  - c. Employees of establishments/industrial units located or which have their office, within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza) and
  - d. Self employed persons/businessmen having place of work within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

The discounted fee for the above two categories shall be as under:-

Category I: Monthly pass of Rs. 150.00.

Category II: Monthly pass of Rs. 300.00.

(B) Buses: Monthly passes for the State Government Transport buses may be given at the rate specified in column(3) of the said table on the certification of the competent authority (not less than the general manager, State Government Road Transport) certifying the number of buses plying in the route per day and in case of private local operators monthly passes shall be issued on production of their route permit and timetable of the route operation dully certified by the District Transport Authority.

(C) School buses: Monthly passes for school buses, for school students, crossing the toll plaza shall be given at a monthly rate of rupees one thousand after obtaining written request of the school principal along with the recognition of the school and the registration of the bus.



(D) LCV/Trucks (Local Transport Operators): Concessional fee shall be charged from Transport Operators on production of proof for plying within twenty kilometers i.e. goods challan for origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle and the fee for such transport shall be Rs.25 (rupees twenty five) for trucks for each entry and Rs.15 (rupees fifteen) for Light Commercial Vehicle (LCV) for each entry.;

(iv) "Termination date" means the date on which the said agreement expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(v) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the said agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2. The actual amount of fee and the revision thereof effect from 1<sup>st</sup> September every year shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee X } \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \text{ X length of the said section.}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index of June, 1997 (131.4).
- WPI-B = is the Average Wholesale Price Index for the year ending March, 31<sup>st</sup> preceding the fee revision date.

3. The actual fees to be charged shall be rounded off to the nearest rupee.

4. The fee shall be collected at the fee plaza situated at Km 141.850.

5. When a vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rate specified in column(3) of the said Table while crossing the toll plazas in the first trip itself and where a vehicle has to use the said section continuously and frequently for entire month, the user may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for a single trip as specified in column(3) of the said Table.

Explanation: - For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

6. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(i) Vehicles-

(A) having VIP symbols or officially belonging to:-

- (a) the President of India;
- (b) the Vice-President of India;
- (c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;

937 GI/11-3

- (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
  - (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
  - (f) the Chairman of Rajya Sabha , Speaker of Lok Sabha, Chairman of a State Legislative Council , Speaker of a State Legislature Assembly , a Minister for the Union or State , Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha , State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;
  - (g) a Member of Parliament in the entire country, a Member of Legislative Assembly of a State , a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
- (B) belonging to awardees of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the competent authority for such awards;
- (ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);
  - (iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
7. Concessionaire shall not collect fees from local traffic in excess of the discounted rates provided in this Notification
8. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect fee from the users of such lane.
9. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.
10. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booth, 100 meters ahead of the toll booth and at the toll booth also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

11. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31<sup>st</sup> March , in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effected, so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/583/CO/10-11/GC-Indore (84.7-167.5) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director